कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मकदानी इन्टरटेनमेन्ट, 25 / 40. रंगनाथ टावर्स, नियर नरायणी प्लाजा, अपोजिट सेन्ट्रल बैंक, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**375 / 08, 07.10.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मकदानी इन्टरटेनमेन्ट, 25 / 40. रंगनाथ टावर्स, नियर नरायणी प्लाजा, अपोजिट सेन्ट्रल बैंक, कानपुर द्वारा दिनांक 07.10.2008 को उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

‘‘ Are the recorded CDs and DVDs classifiable under Entry 63 of Part A of Second Schedule of The U.P. VAT Act ’’

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 14.08.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के विषय में डिप्टी कमिश्नर, खण्ड-1, वाणिज्य कर, कानपुर द्वारा अपने पत्रांक-234, दिनांक 05.07.2013 द्वारा बताया गया कि उक्त फर्म बन्द हो चुकी है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II के भाग-क की प्रविष्टि संख्या-63 में आई.टी प्रोडक्ट्स का उल्लेख है और जिसमें सी.डी. / डी.वी.डी. को सम्मिलित किया गया है। बिना रिकार्डेड सी.डी. / डी.वी.डी. का प्रयोग निर्विवाद रूप से आई.टी प्रोडक्ट्स के रूप में किया जा सकता है। अत: वह इस प्रविष्टि के अन्तर्गत सम्मिलित होगी किन्तु रिकार्डेड सी.डी. / डी.वी.डी. का प्रयोग केवल मनोरंजन के लिए किया जा सकता है तथा उनका उपयोग आई.टी प्रोडक्ट्स के रूप में नहीं किया जा सकता है। अत: प्रथम दृष्टया रिकार्डेड सी.डी. / डी.वी.डी. इस प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं होगी और ऐसी परिस्थिति में इस पर कर की देयता 12.5% होगी।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-63 निम्नवत है :-

I.T. products (as mentioned in Part-B) including computers, telephones and parts thereof, cell phones, satellite receivers, DVD, CD, teleprinter and wireless equipment and parts thereof.

उक्त प्रविष्टि में सी.डी. / डी.वी.डी सम्मिलित है, परन्तु बिना रिकार्डेड सी.डी. / डी.वी.डी. ही I.T. प्रोडक्ट्स हैं। रिकार्डेड सी.डी. / डी.वी.डी, का उल्लेख प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं है। रिकार्डेड सी.डी. / डी.वी.डी. को, I.T. प्रोडक्ट्स नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रिकार्डेड सी.डी. / डी.वी.डी. का प्रयोग मनोरंजन

....2

आदि के लिए होता है, जो सी.डी. / डी.वी.डी. से भिन्न वस्तु है । अत: इन पर, उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत, अवर्गीकृत वस्तु की भॉंति, 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-63 में, I.T. प्रोडक्ट्स के अन्तर्गत सी.डी. / डी.वी.डी. को सम्मिलित किया गया है, जिसमें रिकार्डेड सी.डी. / डी.वी.डी, का उल्लेख नहीं है । रिकार्डेड सी.डी. / डी.वी.डी का प्रयोग, मनोरंजन आदि के लिए किया जाता है, जो प्लेन सी.डी. / डी.वी.डी से भिन्न वस्तुएं हैं । अत: इन पर, उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत, अवर्गीकृत वस्तु की भॉंति, 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 30 अगस्त, 2013

ह0 / 30.08.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उार प्रदेश, लखनऊ ।